

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 171
सोमवार, 25 नवंबर, 2024 / 4 अग्रहायण, 1946 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि से निधियों का संवितरण

171. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि से विभिन्न माध्यमों से निधियां वितरित करके लाभ कमाया जाता है;
- (ख) यदि हां, तो वर्ष 2023 तक किन माध्यमों से धनराशि संवितरित की गई है और पृथक रूप से इस प्रकार कितनी राशि संवितरित की गई है; और
- (ग) उक्त प्रत्येक माध्यम से कितना वार्षिक लाभ अर्जित किए जाने का अनुमान है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): ईपीएफओ द्वारा विभिन्न साधनों के माध्यम से ईपीएफ से निधियों के संवितरण से कोई लाभ नहीं कमाया जाता है।
